

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 02 of 2025

Sub: Modification in subject list of Stat-V Branch of S&E Dte.

It has been decided to modify Item No. 7 of the subject list of Stat-V Branch as under:

"Compilation of Annual Statistical Statements No. 13 (Goods Revenue Statistics on carried basis), No. 28 (Efficiency Statistics), No. 31(Oil Consumption Statistics), No. 32(EMU etc. Statistics), No. 33(Rail Car/Bus Statistics)."

2. This issues with the approval of Competent Authority.

No. 2024/O&M/7/27

Dated: 08.01.2025

(T. Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board

Tele No. 011-47845551

Email: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi.

Copy to:

Member (Finance), AM/Budget, ED/S&E

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

STAT - V

- 1. Compilation of Monthly/Quarterly Statement No.7A (Revenue Earning Goods Traffic on originating basis) showing Tonnes Originating, NTKMs, Earnings and Average Lead.
- 2. Collection of Monthly Statement No.7B detailed Revenue Loading Statistics on originating basis.
- 3. Compilation of Monthly Statement No.7C Goods Revenue Statistics on carried basis.
- 4. Working out monthly/quarterly targets of NTKMs for each Plan Head Commodity.
- 5. Compilation and processing of Distance Zone-wise Annual Statistics of Revenue Earning Goods Traffic on originating basis.
- 6. Updating of Commodity Code List and allotment of Commodity Codes in consultation with Traffic Commercial Directorate.
- 7. Compilation of Annual Statistical Statements No.13 (Goods Revenue Statistics on carried basis), No.28 (Efficiency Statistics), No.31 (Oil Consumption Statistics), No.32 (EMU etc. Statistics), No.33 (Rail Car/Bus Statistics).
- 8. Interpretation, clarification and revision of instructions contained in the Manual of Statistical Instructions Vols. I and II, pertaining to Statements dealt with by the Branch.
- 9. Collection, processing and finalization of data in connection with Productivity Linked Bonus.
- 10. Maintenance of Station Code lists.
- 11. Compilation of monthly report of Revenue Earning Goods Traffic (with cumulative figures) for submission to the Prime Minister's Secretariat through Planning Directorate.
- 12. Analysis of monthly/cumulative Railway-wise Tonnes Originating, NTKMs and Average Lead as compared with corresponding month of the previous year.

- 13. Collection of statements and tapes from the Zonal Railways for compilation and processing of Distance Zone-wise Annual Statistics of Revenue Earning Goods Traffic in co-ordination with the Computer Centre of the Board's Office for Traffic Commercial Directorate for their Budgetary exercises.
- 14. Compilation and supply of data for MR's/MOS(R)'s Quarterly Performance Review Meetings with Board.
- 15. Yearly updating of Commodity Code List in consultation with Traffic Commercial Directorate and supply to Zonal Railways and other Directorates for necessary action.
- 16. Compilation of quarterly commodity-wise figures of Revenue Earning Goods Traffic i.e. Tonnes Originating/NTKms as compared with the figures of corresponding quarter of the last year as well as targets for PREM meetings.
- 17. Compilation, printing and supply of the publication Goods Revenue Statistics of Indian Railways.
- 18. Compilation of monthly/cumulative statement of Non-Revenue Goods Traffic on All India basis as compared to previous year for submission to the Board.
- 19. Compilation and supply of statistics on Revenue and Non-Revenue Traffic (Goods) in various forms to :-
 - (i) Traffic Transportation, Traffic Commercial, Planning, Efficiency & Research, Finance (Budget) and other Directorates for incorporation in Budget Documents.
 - (ii) RCC, Estimates Committee and other such bodies.
 - (iii) C.S.O., Indian Bureau of Mines and other agencies.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2025 का कार्यालय आदेश सं. 02

विषय: सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय की स्टेट-V शाखा की विषय सूची का संशोधन। यह विनिश्चय किया गया है कि स्टेट-V शाखा की विषय सूची की मद सं. 7 निम्नानुसार संशोधित की जाए।

"वार्षिक सांख्यिकीय विवरण का संकलन सं.13 (संचयी आधार पर पण्यवार माल राजस्व आंकड़े), सं.28 (कुशलता आंकड़े), सं.31 (तेल खपत आंकड़े), सं.32 (ईएमयू आदि आंकड़े), संख्या 33 (रेल कार/बस आंकडे)।"

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/27 नई दिल्ली, दिनांक: 08.01.2025

(टी. श्रीनिवास) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड फोन नं- 011-47845551

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

सदस्य (वित्त), अपर सदस्य बजट, कार्यपालक निदेशक/सांख्यिकी एवं अर्थ। कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)।

स्टेट-V

- मासिक/त्रैमासिक विवरण सं. 7ए का (प्रारंभिक राजस्व उपार्जक माल यातायात)का संकलन जिसमें प्रारंभिक टनभार, शुद्ध टन किलोमीटर तथा औसत गमन दूरी दर्शायी जाती है।
- 2. मासिक विवरण संख्या 7 बी का संकलन प्रारंभिक आधार पर विस्तृत लदान राजस्व आंकड़े।
- 3. मासिक विवरण संख्या 7 सी का संकलन संचयी आधार पर पण्यवार माल राजस्व आंकड़े।
- 4. प्रत्येक योजना शीर्ष पण्य के लिए शुद्ध टन किलोमीटर के मासिक/तिमाही लक्ष्य निर्धारित करना।
- 5. प्रारंभिक आधार पर राजस्व उपार्जक माल यातायात के दूरी क्षेत्र-वार वार्षिक आंकड़ों का संकलन और प्रसंस्करण।
- 6. यातायात वाणिज्य निदेशालय के परामर्श से पण्य कूट सूची को अद्यतन करना और पण्य कूट का आबंटन।
- 7. वार्षिक सांख्यिकीय विवरण सं. 13 (अग्रेषित आधार पर माल राजस्व आकड़े), संख्या 28 (कुशलता आंकड़े), संख्या 31 (तेल खपत आंकड़े), संख्या 32 (ईएमयू आदि आंकड़े)), संख्या 33 (रैल कार/बस के आंकड़े) का संकलन।
- 8. शाखा से संबंध विवरणों से संबंधित अनुदेशों के मैनुअल खंड । और II में निहित अनुदेशों की व्याख्या, स्पष्टीकरण और परिशोधन।
- 9. उत्पादकता संबंद्ध बोनस के संबंध में आंकड़ों का संकलन, इन पर कार्रवाई तथा इनको अंतिम रूप देना।
- 10. स्टेशन कोड सूचियों का रखरखाव।
- 11. योजना निदेशालय के माध्यम से प्रधानमंत्री सचिवालय को भेजे जाने के लिए राजस्व उपार्जक माल यातायात (संचयी आंकड़ों सिहत) की संचयी मासिक रिपोर्ट का संकलन।
- 12. पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह की तुलना में मासिक/संचयी रेलवार प्रारंभिक टनभार, शुद्ध टन किलोमीटर तथा औसत गमन दूरी का विश्लेषण।

- 13. बजटीय कार्य हेतु यातायात वाणिज्य निदेशालय के लिए बोर्ड कार्यालय के कंप्यूटर केंद्र के समन्वय में राजस्व उपार्जक माल यातायात के दूरी जोन-वार वार्षिक आंकड़े को क्षेत्रीय रेलों से संकलित करना तथा विवरण तथा टेप एकत्रित करना।
- 14. रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री की बोर्ड के साथ तिमाही बैठकों के लिए आंकड़ो का संकलन और भेजना।
- 15. यातायात वाणिज्य निदेशालय के परामर्श से पण्य कोड सूची को वार्षिक रूप से अद्यतन करना और आवश्यक कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय रेलों तथा अन्य निदेशालयों को भेजना।
- 16. रेल कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी (पीआरईएम) बैठकों के लिए पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही और लक्ष्यों की तुलना में राजस्व उपार्जक माल यातायात अर्थात प्रारंभिक टनभार/शुद्ध टन किलोमीटर के तिमाही पण्यवार आंकड़ों का संकलन।
- भारतीय रेल के माल राजस्व संबंधी आंकड़ो को प्रकाशन हेतु संकलन प्रिंट और आपूर्ति करना।
- 18. बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अखिल भारतीय आधार पर गैर-राजस्व माल यातायात के मासिक/संचयी विवरण का संकलन।
- 19. राजस्व तथा गैर-राजस्व (माल) आंकड़ों का विभिन्न रूपों में समेकन तथा आपूर्ति:-
 - (क) बजट प्रलेखों में शामिल करने के लिए यातायात परिवहन, यातायात/(वाणिज्य), योजना, कुशलता एवं अनुसंधान, वित्त/(बजट) और अन्य निदेशालय।
 - (ख) रेल अभिसमय समिति, प्राक्कलन समिति, तथा अन्य ऐसे निकाय।
 - (ग) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य एजेंसियां।
